न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
33 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	01.06.2022	07.11.2024

डॉ0 मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री नौरत मल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स नेमीचन्द विनोद कुमार जैन, मैन मार्केट पीपलू जिला टोंक राज0। निवासी वार्ड नं0 7 मेन मार्केट पीपलू जिला टोंक राज0। पिनकोड–304801

2–श्री पवन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मुकेश अग्रवाल प्रोपरायटर मैसर्स रामेश्वर उद्योग,एच–13, सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर राज0। निवासी बी–49, सेठी कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर राज0। पिनकोड–302004

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थीगण की ओर से श्री पवन कुमार अग्रवाल उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 07.11.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 22.01.2022 को समय 02:11 पी.एम. पर मैसर्स नेमीचन्द विनोद कुमार जैन, मैन मार्केट पीपलू जिला टोंक(राज0)पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता के हेसियत से श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री नौरत मल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स नेमीचन्द विनोद कुमार जैन, मैन मार्केट पीपलू जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कराबोर करते हुए उपस्थित मिला, श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री नौरत मल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री नौरत मल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड़, तेल, घी, मसाले, नमकीन आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दुकान की रेक में 1–1 किलोग्राम के 20नग पॉली पैक वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु **शूगर बूरा श्री अभय ब्राण्ड (Sugar Bura Shree Abhay Brand)** के रखे हुये थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री विमल कुमार जैन को गवाह के सामने कामि0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री विमल कुमार जैन एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया एवं **शूगर बूरा श्री अभय ब्राण्ड (Sugar Bura Shree Abhay Brand)** जिसके बैच नम्बर अनुपस्थित एवं पैकिंग की दिनांक अनुपस्थित थी, **शूगर बूरा श्री अभय ब्राण्ड (Sugar Bura Shree Abhay Brand)** के ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 1–1 किलोग्राम के 4 नग पॉली पैक कुल 4 किलोग्राम, पैक वास्ते नमूना जांच मूल अवस्था में खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **शूगर बूरा श्री अभय ब्राण्ड (Sugar Bura Shree Abhay Brand)** के 1–1 किलोग्राम के अलग बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–3039 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3039 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री नौरत मल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स नेमीचन्द विनोद कुमार जैन, मैन मार्केट पीपलू जिला टोंक राज0 ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स रामेश्वर उद्योग सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर का वारन्टी बिल नं0/इन्वॉइस नं0 41950 दिनांक 12.10.2021 प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/709 दिनांक 23.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0एस0/465/एक्ट/2022/504 दिनांक 21.02.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **शूगर बूरा श्री अभय ब्राण्ड (Sugar Bura Shree Abhay Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म के श्री पवन कुमार अग्रवाल उपस्थित हुये एवं निवेदन किया कि उक्त खादय पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों पूरा करता है

प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मात्र इसके लेबल कुछ आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। अतः न्यूनतम शास्ती के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **शूगर बूरा श्री अभय ब्राण्ड (Sugar Bura Shree Abhay Brand)** का विक्रय कर रहे थे, उसके लेबल पर समस्त आवश्यक जानकारियां अंकित नही थी जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है। उक्त नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **शूगर बूरा श्री अभय ब्राण्ड (Sugar Bura Shree Abhay Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 07.11.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

([illegible])
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक